एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

कार्तिक शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी
सोमवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

11 नवंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

शहनवा में दी जा सकती है मस्जिद के लिए जमीन

अयोध्या

अयोध्या मामले में निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश प्रदेश सरकार को दिया है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद मस्जिद के लिए दी जाने वाली जगह के बारे में अनुमान लगना शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा क्षेत्र से बाहर सदर तहसील के पूरा विकास खंड अन्तर्गत शहनवां ग्रामसभा एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। इसके अलावा सोहावल, बीकापुर व सदर तहसील क्षेत्र में भी भूमि की तलाश राजस्व विभाग ने शुरू कर दी है।

शहनवां ग्रामसभा में बाबर के सिपहसालार मीरबाकी के क्रब होने का दावा किया जाता रहा है। इस गांव के निवासी शिया बिरादरी के रज्जब अली व उनके बेटे मो. असगर को बाबरी मस्जिद का मुतवल्ली कहा गया। इसी परिवार को ब्रिटिश हुकूमत की ओर से 302 रुपये छह पाई की धनराशि मस्जिद के रखरखाव के लिए दी जाती थी। 1990-91 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में हिन्दू-मुस्लिम पक्ष की वार्ता के दौरान मस्जिद के लिए विहिप की ओर से ही शहनवां गांव में जमीन दिए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह अलग बात है कि मुस्लिम पक्ष ने विवादित परिसर से अपना दावा वापस लेने से इंकार किए जाने के बाद विहिप ने भी बाबर के नाम पर देश में कहीं भी मस्जिद नहीं स्वीकारने का ऐलान कर दिया। विहिप का यही स्टैंड अब भी कायम हैं। रामलला के नेक्स्ट फ्रेंड त्रिलोकीनाथ पाण्डेय कहते हैं, 'हम किसी उपासना पद्धति के विरोधी नहीं है लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद अयोध्या क्या देश में कहीं भी स्वीकार नहीं।' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मान्य है और कोर्ट के आदेश में पर मस्जिद का निर्माण कराया जाता है तो कोई एतराज नहीं होगा।

'मेरे भाइयों के बलिदान को मेरी मां ने 25 साल तक जिया'

अयोध्या पर निर्णय आने के बाद राम और शरद कोठारी की बहन पूर्णिमा ने कहा

कोलकाता

राम और शरद कोठारी राम मंदिर आंदोलन के बलिदानी हैं। उनकी बहन पूर्णिमा ने अयोध्या के निर्णय के बाद अपने दोनों भाईयों को याद किया और कहा कि हमारी 25 साल तक उस बलिदान की जीती रहीं। पिता के जाने के बाद तो ये बलिदान ही उनका आसरा था। अपने दोनों भाईयों को याद करते हुए पूर्णिमा ने बताया, 'मैं मानती हूं कि जब किसी परिवार से कोई बलिदान होता है, तो उस बलिदान को पूरा परिवार जीता है। मैंने अपनी आंखों से यही देखा है कि मेरे माता-पिता ने अपने बच्चों के बलिदान को अपनी सारी उम्र जिया। मेरी मां जब गुजरी, तो मेरे भाइयों को गुजरे 25 साल हो गए थे, लेकिन वह लगातार उस बलिदान को जी रही थीं।'

पिता का 2002 में और मां का 2016 में देहांत हुआ। कोठारी बंधुओं का परिवार मूल रूप से बीकानेर का रहने वाला था और दोनों भाइयों को बीकानेर से बहुत लगाव था। पूर्णिमा ने बताया, 'पिता जी ने बीकानेर में सॉफ्ट ड्रिंक की छोटी फैक्टरी खोली थी। दोनों भाई आपस में बहस करते थे कि तुम कलकत्ता रहना, मैं बीकानेर जाऊंगा। दोनों को बीकानेर बहुत पसंद था। दोनों बीकानेर में जाकर रहना चाहते थे।' व्यावसायी समाज से संबंध रखने के कारण दोनों भाइयों को नौकरी करने की बहुत चाह नहीं थी और राम कोठारी ने तो कोलकाता में पिता के लोहे के कारोबार में हाथ बंटाना भी शुरू कर दिया था। पूर्णिमा ने बताया, 'ये तय था कि वह बिजनेस ही करेंगे।' उन्होंने बताया कि दोनों भाई बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े गए थे और जिस समय अयोध्या में उनकी मौत हुई उस समय राम 22 साल के और शरद 20 साल के थे। पूर्णिमा शरद से एक साल छोटी हैं।

यदि वे आज जिंदा होते तो बीकानेर में अपना कारोबार कर रहे होते या फिर कोलकाता में पिता का व्यवसाय संभाल रहे होते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा कोठारी अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से काफी खुश हैं। मगर वह अपना दुख छिपाना भी नहीं चाहतीं। कोलकाता से 'भाषा' के साथ फोन पर बातचीत में पूर्णिमा ने कहा, 'मैं आज भी अपने भाइयों के उस बलिदान को जी रही हूं।' कोलकाता निवासी राम कोठारी और शरद कोठारी ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में तत्कालीन बाबरी मस्जिद के ढांचे पर कथित तौर पर भगवा झंडा फहराया था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। बाबरी मस्जिद पर भगवा झंड़ा फहराने की जो तस्वीरें

मीडिया में आईं, उनमें राम कोठारी गुंबद के सबसे ऊपर हाथ में भगवा झंडा थामे खड़े थे और शरद कोठारी उनके बगल में खड़े थे। इसके बाद दो नवंबर 1990 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन कारसेवक एक बार फिर बाबरी मस्जिद की ओर कूच करने के लिए हनुमान गढ़ी मंदिर के पास जमा हुए। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां चलाई। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक हनुमान गढ़ी के पास हुई इस गोलीबारी में 16 लोग मारे गए, जिसमें राम और शरद कोठारी भी शामिल थे।

उस समय कारसेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों ने यह नियम बनाया था कि एक परिवार से एक व्यक्ति ही कारसेवा में जाएगा। पूर्णिमा बताती हैं, 'राम ने कहा कि राम के काम में राम तो जाएगा। छोटे ने कहा कि राम जहां जाएगा, वहां लक्ष्मण भी जाएगा। ऐसा करके इन्होंने अधिकारियों और घर वालों दोनों को निरुत्तर कर दिया।' उन दोनों की मौत के बाद उनकी अंतिम इच्छा यानी राम मंदिर आंदोलन में उनके माता-पिता भी शामिल हो गए। पूर्णिमा ने बताया, 'मेरे मां-पिता जी हर कारसेवा में अयोध्या पहुंचते थे। छह दिसंबर को जिस दिन ढांचा गिराया गया था, उस दिन भी वहां मेरे मां-पिता कारसेवा के लिए मौजूद थे।'राम मंदिर आंदोलन इन दोनों भाईयों को याद किए बिना अधूरा है।

गोपाल सिंह विशारद को मौत के 33 साल बाद मिला पूजा का अधिकार

अयोध्या

राम मंदिर के लिए सबसे पहले कानूनी लड़ाई शुरू करने वाले गोपाल सिहं विशारद को भी अंततः न्याया मिल गया है लेकिन निर्णय के 33 वर्ष पहले उनका निधन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली स्पेशल बेंच ने शनिवार को निर्णय सुना दिया है। कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ की जमीन को राम लला विराजमान के अधिकार में विधिवत दे दिया है।

कोर्ट के निर्णय से 1950 के पहले याची गोपाल सिंह विशारद को उनकी मौत के 33 साल बाद राम जन्मभूमि पर पूजा का अधिकार भी मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम भक्त गोपाल सिंह विशारद को उनकी पूजा करने की मांग वाली याचिका के 69 साल बाद अधिकार मिला। हालांकि 33 साल पहले ही गोपाल सिंह का 1986 में निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा गया है कि विवादित जमीन में याचीकर्ताओं के पूजा करने का अधिकार प्रशासन के अधीन है। शांति और व्यवस्था के मद्देनजर संबंधित अधिकारी पूजा करने का अधिकार प्रदान कर सकता है। कोर्ट के इस फैसले के पीछे प्रथम याचीकर्ता गोपाल सिंह के संदर्भ में ही है।

बता दे कि गोपाल सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके विवादित ढांचे के अंदर पूजा करने के अधिकार की मांग की थी। गोपाल सिंह विशारद और एम. सिद्दीक दोनों ही राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के मेन याचीकर्ता थे। दोनों के निधन के बाद उनके वारिसों ने इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अयोध्या की इस विधिक लड़ाई के पीछे 1949 की एक घटना है। कहा जाता है कि दिसंबर 1949 की एक रात कुछ लोगों द्वारा रात में विवादित ढांचे के अंदर राम-जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई थीं। जिसके बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में एक पिटीशन दायर करके भगवान राम की पूजा करने की मांग की थी। हालांकि उनके परिजनों ने निर्णय पर संतोष जताया है और कहा कि वे इस मामले में सदैव याद किए जाएंगे।